(ग) क्या राज्य के रायगढ़, छत्तीसगढ़ और सरगूजा क्षेत्रों के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) से (घ) जन-जातीय क्षेत्रों सहित राज्य में टी॰वी॰ सेवा का और विस्तार करने की दृष्टि से, विवरण में दिए ब्यौरे अनुसार कई टी॰वी॰ परियोजनाएं मध्य प्रदेश में वर्तमान में कार्यान्वयाधीन हैं।

विवरण

उन स्थानों की सूची जहां मध्य प्रदेश राज्य में वर्तमान में टी॰वी॰ परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है/स्थापित किए जाने का विचार है

स्टूडियो	अ॰ श॰ ट्रा॰	अ॰ अ॰ शा॰ ट्रा॰
ग्वालियर	गदखाडा	सिंगरौली
जगदलपुर	कुकडेश्वर	कोन्डा गांव
इन्दौर	बाडा मलहेरा	जशपुर नगर
	भन्डेर	कोयली खेडा
	केलारस	पेन्डारा रोड
	शक्ति	डायमण्ड
	नारायणपुर	माइनिंग प्रोजेक्ट
	गारोट	मोडकपाल
	सरनगढ़	बीजापुर
	भानपांडा	
	सीता मऊ	
	पिपारियां	

गए दिशा-निर्देश

71. **श्री अजीत जोगी:** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सम्बद्ध क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा फिल्मों में अश्लीलता और आपत्तिजनक दृश्यों पर रोक लगाने के लिए बनाये गये नए दिशा-निर्देश बोर्ड के सदस्यों के अवलोकन/टिप्पणी के लिए हाल ही में परिचालित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन दिशा-निर्देशों को कब तक अन्तिम रूप से स्वीकृति दिए जाने और लागू किए जाने की संभावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ एम॰ सईद): (क) से (ग) केन्द्र सरकार द्वारा चलाचित्रिकी अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (2) के अन्तर्गत इसकी शक्तियों के अनुसार 6.12.1991 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों की एक प्रति विवरण I के रूप में संलग्न है। (नीचे देखिये) केन्द्र सरकार ने कोई और मार्ग निर्देश जारी नहीं किए हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (के॰ फि॰ प्र॰ बोर्ड) ने भी कोई नए मार्ग निर्देश जारी नहीं किए हैं। तथापि केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने जुलाई 1994 में बंगलौर में आयोजित अपनी बैठक में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके जिससे मौजूदा संहिताओं का अनुपालन किया जा सकता है, मार्ग-निर्देशों के व्यावहारिक पहलुओं का अध्ययन करने की कोशिश की है। फिल्म से फिल्म तथा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच बिना किसी महत्वपूर्ण अंतर के फिल्मों की जांच करने में इसके पैनल सदस्यों की सहायता करने के लिए यह एक आन्तरिक प्रयोग था। इस बैठक के दौरान तैयार की गई आपत्तिजनक दृश्यों की अंतरिम सूची की एक प्रति विवरण II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

(भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-2, खण्ड-3 के उपखण्ड (II) में प्रकाशित सूचना और प्रसारण मंत्रालय की दिनांक 6 दिसम्बर, 1991 की अधिसूचना सं॰ 805/1/90-एफ (सी) से लिया गया सार।

सा॰ का॰ केन्द्रीय सरकार, चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) की धारा 5 ख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का॰ आ॰ 9(अ) तारीख 7 जनवरी, 1978 को उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निदेश देती है कि फिल्म के सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी देने के लिए फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड के निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्त होंगे:—

1. फिल्म प्रमाणीकरण का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि:—

(क) फिल्म माध्यम समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बना रहे;

(ख) कलात्मक अभिव्यक्ति और सर्जनात्मक स्वतंत्रता पर असम्यक रूप से रोक न लाई जाए;

(ग) प्रमाणन व्यवस्था व सामाजिक परिवर्तन के प्रति उत्तरदायी हों;

(घ) फिल्म माध्यम स्वच्छ और स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करें; और

(ङ) यथासंभव फिल्म सौंदर्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण और चलचित्र की दृष्टि से अच्छे स्तर की हो।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि:

(1) हिंसा जैसी समाज विरोध क्रियाएं उत्कृष्ट या न्यायोचित न ठहराई जाएं;

(2) अपराधियों की कार्यप्रणाली, अन्य दृश्य या शब्द जिनसे कोई अपराध का करना उद्दीप्त होने की संभावना हो, चित्रित न की जाए;

(3) ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनमें:—

(क) बच्चों को हिंसा का शिकार या अपराधकर्ता के रूप में अथवा हिंसा के बलात दर्शक के रूप में शरीक होते दिखाया गया हो या बच्चों का किसी प्रकार दुरूपयोग किया गया हो;

(ख) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया हो अथवा उनका मजाक उड़ाया गया हो; और

(ग) पशुओं के प्रति क्रूरता या उनके दुरूपयोग के दृश्य अनावश्यक रूप से न दिखाए जाएं।

(4) मूलतः मनोरंजन प्रदान करने के लिए हिंसा, क्रूरता और आतंक के निरर्थक या वर्जनीय दृश्य और ऐसे दृश्य न दिखाए जाएं जिनसे लोग संवेदनहीन या अमानवीय हो सकते हों;

(5) वे दृश्य न दिखाए जांए जिनमें मद्यपान को उचित ठहराया गया हो या उसका गुणगान किया गया हो;

(6) मादक पदार्थों के सेवन को बढ़ावा देने वाले अथवा उचित ठहराने वाले दृश्यों को न दिखाया जाएं;

(7) अशिष्टता, अश्लीलता और दुराचारिता द्वारा मानवीय संवेदनाओं को चोट न पहुंचाई जाए;

(8) दो अर्थों वाले शब्द न रखे जाएं जिससे नीच प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता हो;

(9) महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार के तिरस्कारपूर्ण या उन्हें बदनाम करने वाले दृश्य न दिखाए जाएं;

(10) महिलाओं के साथ लैंगिक हिंसा जैसे बलात्संग की कोशिश, बलात्संग अथवा किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न या इसी किस्म के दृश्यों से बचा जाना चाहिए तथा यदि कोई ऐसी घटना विषय के लिए प्रासंगिक हो तो ऐसे दृश्यों को कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाना चाहिए।

(11) काम-विकृतियां दिखाने वाले दृश्यों से बचा जाना चाहिए। यदि विषयवस्तु के लिए ऐसे दृश्य दिखाना संगत हो तो इन्हें कम से कम रखा जाना चाहिए और उन्हें विस्तार से नहीं दिखाया जाना चाहिए।

(12) जातिगत, धार्मिक या अन्य समूहों के लिए अवमाननापूर्ण दृश्य प्रदर्शित या शब्द प्रयुक्त नहीं किए जाने चाहिए;

(13) सांप्रदायिक, रूढ़िवादी, अवैधानिक या राष्ट्रविरोधी प्रवृत्तियों को दिखाने वाले दृश्यों या शब्दों को प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए;

(14) भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए;

(15) ऐसे दृश्य प्रस्तुत नहीं किए जाने चाहिए जिनसे देश की सुरक्षा जोखिम या खतरे में पड़ सकती हो;

(16) विदेशों से मैत्रीपूर्ण संबंधों में मनोमालिन्य नहीं आना चाहिए;

(17) कानून व्यवस्था खतरे में नहीं पड़नी चाहिए;

(18) ऐसे दृश्य या शब्द नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए जिससे किसी व्यष्टि या व्यष्टि निकाय या न्यायालय को मानहानि का अवमानना होती हो;

व्याख्या: ऐसे दृश्य जिनसे नियमों के प्रति घृणा, अपमान या उपेक्षा पैदा हो या जो न्यायालय की प्रतिष्ठा पर आघात करें न्यायालय की अवमानना के अन्तर्गत आएंगे।

(19) संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 (1950 का 12) के उपबंधों के अनुरूप से अन्यथा राष्ट्रीय चिह्न और प्रतीक न दिखाए जाएं।

3. फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड या भी सुनिश्चित करेगा कि:—

(1) फिल्म का मूल्यांकन उसके समग्र प्रभाव को दृष्टि में रखकर किया गया है; और

(2) उस फिल्म पर उस काल, देश की तत्कालीन मर्यादाओं और फिल्म से संबंधित लोगों को ध्यान में रखते हुए विचार किया गया है परन्तु फिल्म दर्शकों की नैतिकता को भ्रष्ट न करती हो।

4. ऐसी फिल्म, जो उपर्युक्त मापदंडों पर खरी उतरती हों, किन्तु अवयस्कों को दिखाए जाने के लिए अनुपयुक्त हों, केवल वयस्क दर्शकों को प्रदर्शित करने के लिए प्रमाणित की जाएंगी।

5. (1) निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को प्रमाणित करते समय बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि फिल्म परिवार के साथ देखने योग्य है अर्थात फिल्म ऐसी होनी चाहिए जिसे परिवार के सभी सदस्य जिसमें बालक हैं के साथ बैठकर देखा जा सकता हो।

(2) फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को देखते हुए यदि बोर्ड का यह मत हो कि माता-पिता/अभिभावकों को सावधान करना जरूरी है कि क्या बारह वर्ष से कम आयु के बच्चे को यह फिल्म दिखाई जाए तो निर्बाध सार्वजनिक प्रदर्शन के प्रमाणीकरण करते समय इस आशय का पृष्ठांकन अवश्य किया जाएगा।

(3) यदि फिल्म के स्वरूप, विषयवस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बोर्ड का यह मत हो कि फिल्म का प्रदर्शन किसी व्यवसाय विशेष के सदस्यों या किसी वर्ग विशेष के व्यक्तियों तक सीमित रखा जाना चाहिए तो फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट दर्शकों तक सीमित रखने के लिए प्रमाणित की जाएगी।

6. बोर्ड फिल्मों के शीर्षकों की बड़े ध्यान से जांच करके या सुनिश्चित करेगा कि वे शीर्षक उत्तेजक, अश्लील, आक्रामक अथवा उपर्युक्त मापदंडों में से किसी मानदंड का उल्लंघन नहीं करते हों।

विवरण II

मार्ग-निर्देशों को दर्शाते हुए आपत्तिजनक दृश्यों की अंतरिम सूची

हिंसा

1. विशेषतः बम्बों, बंदूकों आदि का प्रयोग करते हुए पूजा स्थलों अस्पतालों, अनाथालों में हिंसा।
2. गर्भवती महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, मरीजों, बच्चों पर हिंसा तथा बच्चों का अपहरण।
3. परिचित और संबंधियों द्वारा महिलाओं को थप्पड़ मारना/पीटना/प्रहार करना।
4. चेन दस्तों, उत्पीड़न पहुंचाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस स्टेशन पर हिंसा।
5. जानवरों, चैन तथा बैल्ट का प्रयोग करते हुए हिंसा (अनुकरणीय तरीके की हिंसा)।
6. वेश्यावृत्ति में जबरदस्ती डालने के लिए महिलाओं पर होने वाली हिंसा के दृश्य।
7. चाकू घोंपने, सर काटने, लटकती हुई लाश के दृश्य (पार्श्व अथवा सांकेतिक तरीके से दिखाए जा सकते हैं)।

अश्लीलता

1. चयनित तथा फिल्मी वेशभूषा, मूवमेन्ट, विशेषकर पास से लिए गए सीधे शाटों के-जरिए गीत और नृत्य दृश्यों में नारी की शरीर रचना को चुनकर अनावृत्त करना। (उदाहरण स्वरूप, वक्षस्थलों, विदलन, जांघों)।
2. नारी शरीर रचना की तरफ संकेत करते हुए द्विअर्थी संवाद (उदाहरणस्वरूप वक्ष स्थलों अथवा सेब अथवा अन्य कोई फल)
3. मैथुनिक क्रिया का उत्तेजन (उदाहरण स्वरूप कार, चारपाई को हिलते हुए दिखाना)।
4. नारी तथा पुरुष को एक दूसरे के सामीप्य अथवा एक दूसरे के ऊपर तथा एकदम सामीप्य तथा कमर से नीचे के झटके मारते हुए मैथुन की प्रेरणा को दर्शाना।
5. श्रोणीय झटके, वक्षस्थल को हिलाना, नितम्ब झटके, नारी तथा पुरुष एक दूसरे पर पडे हुए एक साथ लुढ़कना, नारी शरीर को वक्षस्थल से लेकर जांघों तक रगड़ना, वक्षस्थल से पुरुष को

धक्का देना/रगड़ना, आलिंगनबद्ध टांगों सहित एक दूसरे की जांघों और कमर पर बैठना, नारी का स्कर्ट को उठाना तथा उसमें झांकना, नारी की नाभि तथा कमर को भींचना।

6. वक्षस्थलों, नाभि नितम्बों तथा जांघों के ऊपरी भाग को चूमना तथा अश्लीलता।

7. चोली के अन्दर सिक्के आदि डालना तथा अन्य प्रकार की छेड़खानी जिससे नारी शरीर का छिपाव उजागर हो।

8. नारी के कपड़े उतारना

संस्थाओं पर आक्रमण

संवैधानिक प्राधिकरणों, सार्वजनिक क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त व्यक्तियों जैसे मंत्रियों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधीक्षक और शहरी क्षेत्र में उपायुक्त से लेकर ऊपर के पुलिस अधिकारियों की सांठगांठ करते हुए अथवा अपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र विरोधी के रूप में दर्शाना।

Licences Given to Foreign Banks

72. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: SHRI CHATURANAN MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of the licences given to foreign banks to open their fullfledged branches in the country and how many of them have started functioning, their names and other details; and

(b) whether Government are following any norms in granting licences to foreign banks for their operation in the country, if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (DR. DEBI PROSAD PAL): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(b) While considering requests from banks for commencing banking business in India through branch operation, the RBI takes into consideration, inter-alia, the principles of reciprocity, financial position and soundness of the bank, its branch network across the globe, capital and assets size, international standing of the bank as well as the standing of the bank in the country of its incorporation, national advantage and economic and financial/trade relations between the two countries and the system obtaining in the country on supervision of banks.

Persons Detained under COFEPOSA

73. SHRI V. GOPALSAMY will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of persons detained in each state under COFEPOSA during the last three years;

(b) the total amount involved in each case; and

(c) the steps being taken to contain such violations in future?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Details regarding number of persons detained under COFEPOSA Act, 1974 both by the Central & State Governments are contained in the Statement (*See* below). As the total number of persons detained during the last three years works out to over one thousand, furnishing of the amount involved in each case would involve considerable labour and time which will not be commensurate with the object of this Question. In case the Hon'ble Member would like to seek information regarding any particular detenu(s), the required information could be furnished on receipt of specific name(s).

(c) Steps taken to contain smuggling & foreign exchange violations include intensive surveillance over Sensitive areas, targetting of intelligence for the detection of such offences, investigation of cases with a view to unearthing of remification